बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0.
खाद्य भवन,दरोगा प्रसाद राय,पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0-2-पटना।

पत्रांकः-02:15:17(अधि0)2017-1647 दिनांक- 17/1/18

प्रेषक,

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)
मुख्यालय,पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबन्धक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- **खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत सी0एम0आर0 का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः- निगम मुख्यालय का पत्रांक-12212 दिनांक-01.12.2017

महाशय,

ज्ञातव्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत सरकार के निदेशानुसार पंजीकृत किसानों से धान क्रय करना एवं अग्रिम सी0एम0आर0 जमा करने का दायित्व पैक्सों/व्यापारमंडलों को सौंपा गया है। धान क्रय करने की अन्तिम तिथि 31.03.2018 एवं सी0एम0आर0 जमा/प्राप्त करने की अन्तिम तिथि-31.07.2018 निर्धारित है। पैक्स/व्यापारमंडलों द्वारा सी0एम0आर0 जमा करने की प्रक्रिया अनवरत जारी है।

उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा संचालित अधिसूचित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर जमा की जा रही सी0एम0आर0 के भंडारण का समय-समय पर भौतिक सत्यापन किये जाने की आवश्यकता है। प्रासंगिक पत्र के कंडिका-"10" में स्पष्टतया उल्लेखित है कि "प्राप्त सी0एम0आर0 की गुणवत्ता/उपलब्धता की जाँच एवं भौतिक सत्यापन वरीय उपसमाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) के द्वारा अपर जिला प्रबंधक(अधिप्राप्ति) के उपस्थिति में की जायगी एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन दोनों पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित की जायगी।"

विदित हो क निगम मुख्यालय के पत्रांक-966 दिनांक-27.01.18 के कंडिका-"2" एवं "3" में उल्लेखित है कि "प्रत्येक गोदाम में 20 लॉट (अधिकतम) 5000 क्वी0/40 लॉट (अधिकतम 10,000 क्वी0 सी0एम0आर0) का जिला प्रबंधक /अपर जिला प्रबंधक(अधिप्राप्ति) द्वारा अनिवार्य रूप से भंडार (Stock) एवं Stackwise गुणवत्ता की जाँच की जायगी एवं एतद्सम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्यालय को भी उपलब्ध कराई जायगी"। "कंडिका-"6" में "जिला प्रबंधक अपने जिलान्तर्गत कम से कम एक बार सभी सी0एम0आर0 गोदाम का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगें। जिला प्रबंधक यदि आवश्यक समझें तो दो या तीन सहायक प्रबंधक की एक टीम गठित कर भी भौतिक सत्यापन करा सकते हैं।"

इसके अतिरिक्त कंडिका-"14" में सन्निहित निदेश में" धान का मिलिंग कराकर भौतिक रूप से सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर जमा किये गये सी0एम0आर0 के विरूद्ध ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायगा एवं सी0एम0आर0 प्राप्त की अन्तिम तिथि समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों द्वारा जिलाधीन संचालित धान अधिप्राप्ति केन्द्रों/ सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों का जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भौतिक सत्यापन कराकर भौतिक रूप में पाई गई धान/सी0एम0आर0 प्राप्ति सम्बन्धित अन्तिम प्रतिवेदन/भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन 05(पाँच) दिनों के अन्दर निगम मुख्यालय/प्रशासी विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित किया जायगा।"

अतः अनुरोध है कि उपरांकित दिशा निदेश के आलोक में सी0एम0आर0 गोदाम में भंडारित सी0एम0आर0 का समय-समय पर भौतिक सत्यापन कर संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-विहित प्रपत्र

विश्वासभाजन,

17/2/18

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)

ज्ञापांकः-02:15:17(अधि0)2017-1647 दिनांक-17/2/18

प्रतिलिपिः-निबंधक,सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सभी जिला पदाधिकारी,बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-प्रबन्ध निदेशक कोषांग ,निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/2/18

RCM-15-02-18

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

सी0एम0आर0 गोदाम का जाँच प्रतिवेदन।

क्रमांक	गोदाम का नाम एव निबंधन संख्या	भण्डारण क्षमता	संधारित भंडार पंजी के अनुसार स्थिति			भौतिक सत्यापनोपरांत पाई गई स्थिति			गुणवत्ता की स्थिति	अभ्युक्ति
			स्टेक की कुल संख्या	बोरा की संख्या	मात्रा	स्टेक की कुल संख्या	बोरा की संख्या	मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

जिला प्रबंधक,

नोटः–यदि किसी स्टैक की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो उस स्टैक की विवरणी देंगें।